(भारत के राजपत्र असाधारण भाग–II, खण्ड–3, उपखण्ड–(ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
उद्योग भवन

अधिसूचना सं0 55/2015–2020
नई दिल्ली, दिनांकः 23 मार्च, 2018

विषयः विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 में संशोधन–दिनांक 01.10.2018 तक ईओयू स्कीम के तहत एकीकृत वस्तु और सेवा कर (आईजीएसटी) और क्षतिपूर्ति उपकर छूट में विस्तार।

सा.आ.(अ.): समय–समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 1.02 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1992 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतदद्वारा विदेश व्यापार नीति, 2015–20 में निम्नलिखित संशोधन करती है।

1. विदेश व्यापार नीति, 2015–20 के पैरा 6.01(घ)(ii) के तहत ईओयू स्कीम के अंतर्गत एकीकृत कर और क्षतिपूर्ति उपकर से छूट 01.10.2018 तक बढ़ायी जाती है।

इस अधिसूचना का प्रभावः विदेश व्यापार नीति, 2015–20 के पैरा 6.01(घ)(ii) को उपरोक्तानुसार संशोधित किया जाता है।

(आलोक वर्धन चतुर्वेदी)
महानिदेशक, विदेश व्यापार

(फा0 सं0 01/92/180/63/एएम 18/पीसी–6 से जारी)